तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **भगवान सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी(अति.संभागीय आयुक्त,जयपुर)** **अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2023/109**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.04.23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। उन्होने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि विचाराधीन पत्रावलियॉ 2014, 2014, 2015, 2016, 2017, 2017, 2019 जिसमें सभी पत्रावलियॉ बहुत समय लगभग 7–8 साल से विचाराधीन है एवं लगभग से दोषरोपित हो चुका है लेकिन दोषी को बचाने के उद्देश्य से जान बुझकर सचूना नही दी जा रही है। अतः सूचना दिलवाई जावें। लोक सूचना अधिकारी ने अपने जवाब एफ19(11)(2)प्रकोष्ठ/2023/174 दिनांक 10.04.2023 में अंकित किया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 102 दिनांक 10.02.2023 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जॉच (Inquiry) प्रक्रिया के प्रकटन से सम्बन्धित है जिसके प्रदान किये जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अड़चन एवं विपरित प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा इस तरह की सूचना का सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रकरण पर मनन किया गया जिससे जाहिर है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जॉच प्रक्रिया के प्रकटन से सम्बन्धित होने से एवं उक्त सूचना दिये जाने से जॉच कार्यवाही की प्रक्रिया में अडचन एवं विपरित प्रभाव पड़ने की आशंका के मद्देनजर तथा इस तरह की सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत प्रदान किया जाना आवश्यक नही होने से उपलब्ध नही कराई गई है जिसके सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक 102 दिनांक 10.02.2023 द्वारा अपीलार्थी को अवगत भी करा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज योग्य प्रतीत होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 17/4/23 **(अन्तरसिंह नेहरा)** अपीलीय अधिकारी संभागीय आयुक्त, जयपुर।	